

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/शैक्ष.5/स्थाना.2015/19061-80

दिनांक: 13.06.2015


आदेश

निम्नांकित ग्रामीण स्वैच्छया सेवा के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण राज्य हित में उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाते हैं-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद नाम	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	टिप्पणी	प्रशासनिक/स्वैच्छिक
1	नीता शर्मा	अध्यापक	-	रावउपासंवि हनुतियां जयपुर	राउप्रासंवि हाथोज जयपुर	रिक्त पद पर	स्वैच्छिक
2	मंगलचन्द शर्मा	व0अ0ग्रेड-1	व्याकरण	रावउपासंवि बौली सवाईमाधोपुर	रावउपासंवि चक गोपीनाथपुरा सीकर	रिक्त पद पर	स्वैच्छिक
3	वासुदेव सोलंकी	अध्यापक ग्रेड-1A	संस्कृत	राउप्रासंवि जाटोली खेडा नगर भरतपुर	राउप्रासंवि नंगलाखान रूपवास भरतपुर	रिक्त पद पर	स्वैच्छिक
4	सतीश कुमार	अध्यापक ग्रेड-1A	संस्कृत	राप्रवेसंवि बरोलीघाउ कामा भरतपुर	रावउपासंवि सहनावली भरतपुर	रिक्त पद पर	स्वैच्छिक
5	रमेश चन्द गुप्ता	अध्यापक	-	राउप्रासंवि घोघरी का मगरा झालावाड	राउप्रासंवि मेघवालों का खेडा झालावाड	रिक्त पद पर	स्वैच्छिक


नोट-1. जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किये गये हैं उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। 2. जिन कार्मिकों के न्यायिक प्रकरण विचाराधीन हैं, उनके संबंध में उक्त आदेश लागू नहीं होगा। 3. जिन कार्मिकों को प्रथम नियुक्ति पर तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं उनके संबंध में उक्त आदेश लागू नहीं होगा। 4. स्थानान्तरित कार्मिकों को दिनांक 30.06.2015 तक आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा।

19061-80
13.06.2015


(लक्ष्मीनारायण आसोपा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
2. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी संस्कृत शिक्षा राजस्थान
3. संबंधित प्राचार्य/संकुल प्रभारी को भेजकर लेख है कि तत्काल उक्त आदेश की पालना अन्तिम तिथि से तीन दिवस के अन्दर सुनिश्चित कर अधोहसताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. श्री शंकर सोनी, पु0अ0/वेबसाईट प्रभारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभाग की वेबसाईट पर उक्त आदेश को तत्काल अपलोड करें।
7. व्यक्तिगत पंजिका


(लक्ष्मीनारायण आसोपा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर